पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)

टेलीफोन नं. 01572–272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572–273100

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमाक–प.02 ( ) सम्बद्धता / बी.ओ.आई. / 2016–17 / 4675-81 दिनांक–21.06.2016

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
जिला सीकर एवं झुन्झुनू।

विषयः– सत्र 2016–17 के महाविद्यालयों के निरीक्षण के सम्बन्ध में।
प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक 4485 दिनांक14.06.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र जिला सीकर एवं झुन्झुनू में अवस्थित अकादमिक महाविद्यालयों को सत्र 2016–17 की सम्बद्धता जारी किये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा निरीक्षण दलों का गठन किया जाकर महाविद्यालय आवंटित किये जाकर आदेशों की प्रति आपको एवं निरीक्षण दलों को पूर्व में भिजवाई जाकर निर्देश जारी किये गये थे कि निरीक्षण दल के सदस्यों को सूचित कराते हुये निरीक्षण हेतु कार्यमुक्त कर दिनांक 15.06.2016 एवं 18.06.2016 से पूर्व निरीक्षण कार्य सम्पन्न कर निरीक्षण प्रतिवेदन मय महाविद्यालयों से प्राप्त दस्तावेज के इस कार्यालय को जमा करावें। आज दिनांक तक आपके अधीनस्थ पदस्थापित अधिकारियों के गठित निरीक्षण दलों द्वारा कोई निरीक्षण प्रतिवेदन जमा नहीं करवाये है। अतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ पदस्थापित अधिकारियों, जिनको निरीक्षण कार्य हेतु लगाया गया है को सूचित कर पाबन्द करावें कि 3 दिवस में निरीक्षण कार्य पूर्ण कर निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करावें। निरीक्षण कार्य में देरी के कारण महाविद्यालयों को सम्बद्धता जारी किये जाने में विलम्ब होने पर इस कार्यालय द्वारा राजभवन, जयपुर एवं आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को सूचना भिजवाई जावेगी। इसे आवश्यक समझा जावे एवं निरीक्षण कार्य में विश्वविद्यालय प्रशासन का सहयोग प्रदान करावें ।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती हैः–

1. कुलपति सचिवालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
2. आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. वित नियंत्रक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
4. परीक्षा नियंत्रक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
5. प्रभारी वेबसाईड अपलोड किया जाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव